न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 09/प्रा0पत्र/2017

1. छेलबिहारी आ0 श्री प्रभूलाल जाति कलाल निवासी बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. रोहित कुमार पिता श्री मोहनलाल जाति महाजन
2. एकता पुत्री मोहनलाल जाति महाजन
3. चन्द्रकांता पत्नी मोहनलाल जाति महाजन
4. रामकिशन आ0 धन्नालाल जाति महाजन निवासीगण बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री महेश नामा

अप्रार्थी – श्री शम्भूदयाल शर्मा

निर्णय दिनांक :– 13/04/2022

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खाता संख्या 31 खसरा संख्या 3490 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा व ख0 संख्या 3509 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 3545 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम त्रिशुल्या पटवार क्षेत्र बडोदिया में स्थित है जो प्रार्थी के सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया प्रार्थीगण व उसके परिवारजनों के सहखातेदारी में दर्ज है और उक्त भूमिया पारिवारिक सहमति से बंटवारा स्वरूप प्रार्थी के हिस्से में आती है और उक्त भूमिया प्रार्थी द्वारा ही काबिज काश्त की जा रही है। प्रार्थी के खाते की भूमियों के सहारे ही अप्रार्थीगण के खाते की भूमिया खाता संख्या 107 खसरा संख्या 725 रकबा4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 3489 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। प्रार्थी की भूमियों पर आने जाने हेतु वर्तमान में रास्ता बना हुआ है उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की भूमियों खसरा संख्या 3489 पर से होकर निकलता है और प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग विगत कई वर्षो से करता चला आ रहा है और उसी रास्ते से प्रार्थी कृषि उपकरण ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य साधन लाता ले जाता आ रहा है और वर्तमान में उक्त रास्ता विद्यमान है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है और उक्त रास्ते की जगर अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज होने से आये दिन विवाद की स्थिति पैदा होती है और अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बन्द करने

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

र आमादा होते रहते है। प्रार्थी के आने जाने में व्यवधान पैदार करते रहते है। यही प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण है जो अप्रार्थीगण के कृत्य से उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वो अपने खाते की भूमियों को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है उस पर आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराये नियमानुसार राशि अप्रार्थीगण को व राजकोष में जमा करावे उक्त रास्ते को बहाल रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावें कि वो उक्त रास्ते को नष्ट नहीं करे अप्रार्थीगण अतिक्रमण नहीं करे ऐसा न–तो स्वयं करे और नाहि किसी अन्य से. करावे। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते का उपयोग उपभोग हेतु व राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु राशि जमा कराने को तैयार है। विवादित जगह ग्राम त्रिशुल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबी तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क स्वीकार फरमाकर आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराये नियमानुसार राशि अप्रार्थीगण को व राजकोष में जमा करावे उक्त रास्ते को बहाल रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावें कि वो उक्त रास्ते को नष्ट नहीं करे अप्रार्थीगण अतिक्रमण नहीं करे ऐसा न–तो स्वयं करे और नाहि किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की ओर से निम्न जवाब प्रार्थना प्रस्तुत हैः– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खाते के खंसं. का ज्ञान न होने से सम्पूर्ण तथ्य स्वीकार नहीं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित तथ्य का ज्ञान न होने से सम्पूर्ण तथ्य स्वीकार नहीं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 स्वयं के खातेदारी अधिकार की भूमियों में उपयोग उपभोग करते चले आने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में सम्पूर्ण तथ्य मनगढन्त व मिथ्या होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार है। वास्तविकता में अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि की मेर पर कोई रास्ता न तो पूर्व में विधमान था न ही वर्तमान में विधमान है। प्रार्थी के खेतो पर पहुचने का अन्य रास्ता विधमान है। जिसका वह वर्षो से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। यहा यह भी उल्लेखनिय है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की मेर के बीचों बीच लाईट के दो पोल गाड रखे है एवं अप्रार्थी द्वारा खातेदारी हैसियत से अपने खेतों पर आने जाने हुत रास्ता बना रखा है। और मेर का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि के चारों और काटों की तारबंदी कर रखी है एवं अन्य रास्ते से वर्षो से अपने खेतों पर आ रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या व मनगढन्त होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार है। जब प्रार्थी उक्त रास्ते पर आ जा ही नहीं रहा है तो व्यवधान पैदा करने वाली बात मिथ्या व गलत अंकित की है। मौके पर कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार है। यहा यह भी उल्लेखनिय है कि गत वर्षो पूर्व प्रार्थी द्वारा बिजली के पोल अप्रार्थी की मेर के बीचों बीच गाडते वक्त 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी से खरीदने का प्रस्ताव रखा था उक्त समय अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्ताव ठुकरा देने के कारण मनगढन्त तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

ो खारिज योग्य हे। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6,7 व 8 कानूनी है। प्रार्थना प्रार्थी सम्पूर्ण भाग अस्वीकार है उक्त भूमि की मय मैर प्रार्थी की खातेदारी भूमि होने से किसी को भी जबरन व ताकत के बल पर रास्ता निकलने कब्जा करने अप्रार्थी को बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है जो मय हर्जे खर्चे खारिज फरमावे। एवं अप्रार्थी को हर्जा, खर्चा स्वरू० 5,000 रूपये नगद प्रार्थी से दिलाये जावे। अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर मेर पर उक्त रास्ता मात्र स्वयं के आने जाने हेतु बना रखा है जिस पर प्रार्थी का कोई हक शुफा नहीं है। गत वर्षो पूर्व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की खाते की मेर के बीचों बीच दो पोल बिजली के गडवा रखे है उस समय प्रार्थी द्वारा 10 बिस्वा भूमि क्रय करने का प्रस्ताव रखा था किन्तु उक्त प्रस्ताव अप्रार्थी द्वारा ठुकरा दिये जाने के कारण मिथ्या कथनों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी की भूमि के चारों तरफ तारबंदी हो रही है एवं वर्षो से अन्य रास्ते से आ जा रहा है। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि है राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। स्वयं के खेत में आने जाने हेतु स्वयं ने मेर पर रास्ता बना रखा है उस पर प्रार्थी या अन्य का कोई अधिकार नहीं है। यदि विकल्प में रास्ता दिया जाता है तो वर्तमान डी०एल०सी० रेट की दोगुनी राशि प्रार्थी से अप्रार्थी को नकद दिलायी जावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है अप्रार्थी के जवाब पर गौर फरमाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं 5,000 रूपये हर्जे, खर्चे के रूप में अप्रार्थी को प्रार्थी से दिलाये जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट पेश की हुई है जो शामिल मिसल है।

वकील अप्रार्थीगण ने पूर्व में प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करते हुए नियम 69 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट मगवाये जाने की बहस की। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पत्र क्रमांक :– 483/राजस्व/21 दिनांक :– 12.11.2021 से पेश की जो शामिल मिसल है। वकील अप्राथीगण ने उक्त रिपोर्ट पर भी आपत्ति करते हुए कथन किया कि हमारी उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट नहीं बनाई गई है पुनः रिपोर्ट मगवायी जावे, जिस पर पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें रिपोर्ट पर अप्रार्थी रोहित कुमार द्वारा गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर नहीं करना अंकित किया गया है अतः वकील अप्रार्थी की उक्त आपत्ति खारीज की जाकर बहस अन्तिम सुनी गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3490, 3509, 3545 पर आने जाने हेतु वाके ग्राम त्रिशुल्या पटवार मण्डल बडोदिया में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा सं0 3489 पर बने हुए रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार साहब हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

वकील प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी की भूमि में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। प्रार्थी अन्य रास्ते से होकर अपनी भूमि पर आते जाते हैं। प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि को स्वरूप नष्ट करना चाहते है अतः रास्ता घोषित नहीं किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में दिनांक :– 14.05.2017 व दिनांक :– 08.06.2017 को पटवारी हल्का, भू0अ0नि0 सथूर द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट व तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पत्र क्रमांक :– 307/राजस्व/2020 दिनांक :– 12.05.2020 व पत्र क्रमांक :– 433/राजस्व/2021 दिनांक :– 12.11.2021 से प्रस्तुत रिपोर्टो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो में प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 3490, 3509, व 3545 ग्राम त्रिशुल्या में पहुचने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा सं0 3489 में पूर्व से पश्चित दिशा की ओर 2 गठ्ठा चौडाई का प्रस्तावित है जिसमें होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा सं0 3490 पर प्रवेश करेगा। इस हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3489 में से 0.0648 हैक्टेयर, भूमि उपयोग में आयेगी। उक्त भूमियो के खातेदार अप्रार्थीगण रोहित कुमार पिता मोहनलाल वगै0 दर्ज रिकार्ड है। उक्तानुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनकी सहखातेदारी भूमि खसरा सं0 3490, 3509, व 3545 ग्राम त्रिशुल्या पटवार मण्डल बडौदिया में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा सं0 3489 ग्राम त्रिशुल्या में पूर्व से पश्चित दिशा की ओर 2 गठ्ठा चौडाई मे कुल रकबा 0.0648 हैक्टेयर प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि ग्रेवल सडक के सहारे की है जिसकी डीएलसी राशि 777209/– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली खातेदारी भूमि 0.0648 हैक्टेयर भूमि की राशि 50363रू/– जिसकी दुगनी राशि 100726रू/– प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 3489 ग्राम त्रिशुल्या के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान् को मुताबिक हिस्सेनुसार किया जावे। प्रतिकर राशि का भुगतान करने पर निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरिर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (करौली)
हिण्डोली